बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश सं0 :–11/ विविध–03–02/2015 4344 दिनांक 04.09.2015

आदेश

मे0 शक्ति कंस्ट्रक्शन, न्यू एरिया, औरंगाबाद के पार्टनर श्री राज कुमार सिंह द्वारा विभागीय आदेश ज्ञापांक 3571 दिनांक 30.07.2015 जिससे उनके निबंधन संख्या – 29/2011 (प्रथम श्रेणी) को काली सूची में डाला गया है, के विरूद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली – 2007 के प्रावधान के तहत अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष अपील अभ्यावेदन दिया गया है।

2. संवेदक के विरूद्ध लधु जल संसाधन विभाग में वर्ष – 2002–03 में नल कूप प्रमंडल डिहरी के अधीन राजकीय नलकूप कर्मा एवं अकोढ़ी के निर्माण कार्य में अनियमितता की जॉच प्रतिवेदन के आधार पर लधु जल संसाधन विभाग द्वारा, संवेदकों के विरूद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करने एवं काली सूची में डाले जाने का निर्णय लिया गया था। इसके आलोक में संवेदक के विरूद्ध कार्यपालक अभियंता द्वारा दिनांक 26.04.03 को स्थानीय थाना सासाराम एवं अकोढ़ी गोला में अपराधिक मामला दर्ज कराया गया, जिसका प्राथमिकी संख्या क्रमशः 235/03 एवं 29/03 है। संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई हेतु काली सूची में डाले जाने का प्रस्ताव अनुशंसा सहित पत्रांक 918 (मो0) दिनांक 15.06.2015 द्वारा लधु जल संसाधन विभाग से प्राप्त हुआ उसके आलोक में संवेदक से कारण पृच्छा कर संवेदक के निबंधन को काली सूची में डाला गया है।

3. लधु जल संसाधन विभाग के पत्रांक 1961 दिनांक 12.04.2003 में संवेदक के विरूद्ध निम्नांकित आरोप हैं –

(i) राजकीय नलकुप प्रमंडल, कर्मा के संबंध में संवेदक को एकरारनामा के अनुसार 8.56 लाख रूपये के विरूद्ध 8.70 लाख रूपये भुगतान हुआ था जिसमें मुल्याकन प्रतिवेदन के आधार पर 5.14 लाख रूपये स्थल पर बिना कार्य किये भुगतान पाया गया।

(ii) राजकीय नलकुप अकोढ़ी में संवेदक के एकरारनामा के अनुसार 8.53 लाख रूपये के विरूद्ध कार्य पूर्ण दिखाकर 8.68 लाख रूपये का भुगतान किया गया, जिसमें 4.46 लाख रूपये का भुगतान लिया गया था।

4. संवेदक द्वारा अपने अपील अभ्यावेदन में निम्नांकित तथ्यों का उल्लेख किया गया है –

(क) संवेदक द्वारा कहा गया है कि, कार्यपालक अभियंता द्वारा अपने पत्रांक 769 दिनांक 03.08.03 से अधीक्षण अभियंता, नलकुप अंचल, आरा को सूचित किया गया है कि संवेदक द्वारा अपूर्ण कार्य को पूर्ण करा दिया गया है।

(ख) अपने अपील अभ्यावेदन में थाना कांड संख्या 29/03 तथा 235/03 आरक्षी अधीक्षक, रोहतास, डिहरी के पर्यवेक्षण रिर्पोट के आधार पर कहा गया है कि उनके उपर सरकारी धन के गबन का मामला नहीं प्रमाणित होता है क्योंकि कार्य पूर्ण पाया गया।

5. उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर मे0 शक्ति कंस्ट्रक्शन के पार्टनर श्री राजकुमार सिंह द्वारा दोनो मामलो मे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का निर्णय आने तक अपने अपील अभ्यावेदन में विभागीय ज्ञापांक 3571 दिनांक 30.07.2015 को स्थगित करने का अनुरोध किया गया है।

6. मे0 शक्ति कंस्ट्रक्शन, न्यू एरिया औरंगाबाद के अपील अभ्यावेदन को मंतव्य हेतु लघु सिंचाई विभाग को विभागीय पत्रांक 4087 दिनांक 25.08.2015 द्वारा भेजा गया, लघु सिंचाई विभाग के पत्रांक 1517 (मो0) दिनांक 01.09.2015 द्वारा विभागीय मंतव्य अभिलेखो के साथ दिया गया। अभिलेखो से स्पष्ट होता है कि –

(i) मुख्य अभियंता (द0) नलकूप प्रभाग, लघु सिंचाई विभाग, शेखपुरा, पटना द्वारा पत्रांक 1543 दिनांक 20.12.2002 से दिए गए निर्देश के आलोक में अधीक्षण अभियंता नलकूप अंचल, आरा द्वारा नलकूप प्रमंडल, सासाराम शिविर डिहरी के अधीन नलकूप के कार्यो का निरीक्षण किया गया और पत्रांक 1 सी दिनांक 22.01.2003 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन की समीक्षा लघु सिंचाई विभाग द्वारा की गयी । समीक्षोपरान्त कार्रवाई हेतु लघु सिंचाई विभाग के पत्रांक 1961 दिनांक 12.04.2003 द्वारा संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई हेतु कार्यपालक अभियंता, नलकूप प्रमंडल, सासाराम शिविर डिहरी को निदेश दिया गया था ।

लघु सिंचाई विभाग के पत्रांक 1961 दिनांक 12.04.2003 में स्पष्ट उल्लेख है कि "राजकीय नलकूप भूसोला, कर्मा, अकोढ़ी, चिन्तामनपुर पर क्रमशः 4.08, 5.14, 4.64 एवं 3.25 लाख रू0 कुल 17.11 (सत्रह लाख ग्यारह हजार) का भुगतान विभागीय पदाधिकारियों के मिली भगत से संवेदक द्वारा बिना कार्य करायें प्राप्त किया गया है जो एक घोखाघड़ी एवं अपराधिक मामला है । घोखाघड़ी एवं अपराधिक मामले के लिए संबंधित संवेदको के विरूद्ध अपराधिक मुकदमा दर्ज करने एवं काली सूची में डाले जाने का निर्णय लिया गया है ।"

(ii) कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमंडल सासाराम शिविर, डिहरी द्वारा अपने पत्रांक 769 दिनांक 03.08.2003 द्वारा अधीक्षण अभियंता नलकूप अंचल, आरा को प्रेषित प्रतिवेदन में कहा गया है कि अपूर्ण कार्य को पूर्ण करा दिया गया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि संवेदक द्वारा पदाधिकारियों की मिलीभगत से बिना कार्य कराये भुगतान प्राप्त कर लिया गया था और कार्य बाद में पूर्ण किया गया।

(iii) थाना कांड सं0 29/03 में आरक्षी अधीक्षक रोहतास (डिहरी) का अनुसंधान प्रतिवेदन दिनांक 11.03.06 को समर्पित है, जिसमें उल्लेख है कि कार्य पूर्ण हो चुका है। इसी तरह थाना कांड सं0 – 235/03 में आरक्षी अधीक्षक रोहतास (डिहरी) का अनुसंधान प्रतिवेदन दिनांक 30.03.06 को समर्पित है जिसमें कार्य पूर्ण बताया गया है।

अतः संवेदक द्वारा धोखाधड़ी से बिना कार्य कराये सरकारी राशि प्राप्त किया गया। उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज हो जाने के पश्चात् कार्य को पूर्ण किया गया है। अभी भी दोनों थाना कांड प्रभावी है। अतएव श्री राजकुमार सिंह पार्टनर मे0 शक्ति कं0, न्यू एरिया औरंगाबाद के अपील अभ्यावेदन दिनांक 12.08.2015 को अस्वीकृत किया जाता है और अभियंता प्रमुख (मध्य) के ज्ञापांक 3571 दिनांक 30.07.15 द्वारा संवेदक के निबंधन को काली सूची में डाले जाने संबंधी आदेश को यथावत् रखा जाता है।

(दीपक कुमार सिंह)
सचिव

ज्ञापांक 4344 दिनांक 04.09.2015

प्रतिलिपिः– मे0 शक्ति कंस्ट्रक्शन, पार्टनर – श्री राज कुमार सिंह, मो0 – बाल बिहार स्कूल के पीछे, न्यू एरिया, पो0+ जिला – औरंगाबाद, पिन – 824101 को सूचनार्थ प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)
सचिव

ज्ञापांक 4344 दिनांक 04.09.2015

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता (मु0) अनुश्रवण, लधु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)
सचिव

ज्ञापांक 4344 दिनांक 04.09.2015

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव/ सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/ पथ निर्माण विभाग, पटना/लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग, पटना/ भवन निर्माण विभाग, पटना/ लधु जल संसाधन विभाग, पटना/ ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/ सभी मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंजा योजना एवं मोनेटरिंग अंचल–2/3/4 बाढ़ मो0 अंचल, पटना/ निदेशक, क्रय भंडार एवं सामाग्री प्रबंधन जल संसाधन विभाग बिहार, पटना/ ओई.टी.मैनेजर को विभागीय, बेवसाईट पर डालने हेतु प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)
सचिव